झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–1/पी॰ एम॰ सी॰/कार्य–985/2017– /राँची/दिनांक.....

प्रेषक:

ई० राजेन्द्र प्रसाद
उप सचिव (अभि॰)

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड,
पो०–हिनू, राँची।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा :– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।**

विषयः **बुढई जलाशय परियोजना के निर्माण कार्य हेतु रूपये 1520.87 करोड़ (रूपये पन्द्रह सौ बीस करोड सत्तासी लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत

1. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर के परिक्षेत्राधीन देवघर जिलान्तर्गत मधुपुर प्रखण्ड के बुढई ग्राम के निकट पथरो -नदी पर बुढई जलाशय योजना का निर्माण कार्य हेतु **रू० 1520.87 करोड़ (रूपये पन्द्रह सौ बीस करोड सत्तासी लाख)** मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. योजना का CCA 22900 हे० है। योजना से देवघर जिले के 15800 हे० खरीफ एवं 17700 हे० रब्बी क्षेत्र में सिंचाई दी जा सकेगी। इस योजना के अन्तर्गत 5.747 कि०मी० लम्बा मिट्टी बाँध (डैम) का निर्माण प्रस्तावित है, जिसकी अधिकतम ऊँचाई 27.50 मी० है। 101.00 मी० लम्बा ओगी (Ogee type) एक पक्का स्पीलवे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें 8 Radial gate लगे होंगे जिसका आकार 10.00 मीटर X 8.951 मीटर होगा। जलाशय का जीवित संग्रहण क्षमता (Live Storage Capacity) 180.70 MCM होगा। FRL पर कुल Storage क्षमता 219 MCM होगा। बाँध से दो आउटलेट प्रस्तावित है। बांये आउटलेट का जलश्राव 9.00 क्यूमेक्स् होगा तथा दांये आउटलेट का जलश्राव 8.60 क्यूमेक्स् है। बायीं मुख्य नहर की लम्बाई 33.254 कि०मी० तथा इससे निःसृत शाखा नहर एवं वितरणियों की लम्बाई 90.84 कि०मी० होगी। दाँयी मुख्य नहर की लम्बाई 29.90 कि० मी० होगी तथा इससे निःसृत शाखा नहर एवं वितरणियों की लम्बाई 116.72 कि०मी० होगी। इस योजना से सिंचाई हेतु 116.00 MCM तथा Domestic Municipal Water Supply हेतु 4.08 MCM पानी का प्रावधान है। 20.17 MCM जल सिकटिया बराज को उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

3. इस योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं डूब क्षेत्र के लिये लगभग 1722.60 हेक्टेयर तथा नहरों के लिये लगभग 328.95 हेक्टेयर जमीन का भू–अर्जन किया जाना है।

4. योजना का शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र में 541.23 हे० वनभूमि आकलित है। नहर क्षेत्र में वनभूमि का मामला नहीं है।

5. योजना निर्माण के लिए वनभूमि अपयोजन हेतु कार्रवाई प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् की जायेगी।

6. इस वृहत योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव पर जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–P.20011/2/2016-SPR, दिनांक–17.02.2017 द्वारा राज्य योजना मद से रू० 1520.87 करोड़ के लिये Investment Clearance की सहमति प्रदान की गयी है।

7. योजना निर्माण के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले परिवारो को भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम '2013 के अनुसार किया जायेगा।

8. इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रारंभ कर वर्ष 2020–21 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

9. जल संसाधन विभाग के लिये मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत वर्ष 2017–18 के बजट में नई योजनाओं के लिए रू॰ 500.00 लाख का एकमुश्त प्रावधान निम्नवत् है :–

   (i) शीर्ष – 49S–4701–80–789–65–05–45 में रू० 50.00 लाख

   (ii) शीर्ष – 49S–4701–80–800–65–05–45 में रू० 200.00 लाख

   (iii) शीर्ष – 49S–4701–80–789–63–05–45 में रू० 50.00 लाख

   (iv) शीर्ष – 49S–4701–80–796–63–05–45 में रू० 200.00 लाख

10. वर्ष 2017–18 में इस योजना पर होने वाला व्यय नई योजनाओं के लिए प्रावधानित उपर्युक्त बजट शीर्ष के अधीन विकलनीय होगा।

11. वर्ष 2018–19 एवं आगे की वर्षों में इस योजना पर होने वाला व्यय चालू योजनाओं के निर्माण कार्य के लिये बजट शीर्ष 4701–80–789–62–05–45 एवं 4701–80–796–62–05–45 में प्रावधानित बजट राशि के अधीन विकलनीय होगा।

12. योजना पर व्यय हेतु राशि की निकासी **उप कोषागार, मधुपुर,** देवघर से की जायेगी।

13. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर होंगे तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, सिकटिया होंगे।

14. कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

15. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

16. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

17. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति इस शर्त्त के साथ प्राप्त है कि भू–अर्जन की कार्रवाई पूरी करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ की जाय।

18. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

19. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत होगा।

20. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

21. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

22. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जायेगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक–1/पी० एम० सी०/कार्य–985/2017– /राँची/दिनांक................

प्रतिलिपिः–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को को प्रेषण हेतु/योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक–1/पी० एम० सी०/कार्य–985/2017– /राँची/दिनांक................

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, उप कोषागार, मधुपुर, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित्।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक–1/पी० एम० सी०/कार्य–985/2017– 5012-189 रा॰ **/राँची/दिनांक** 30.10.2017

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना आयोजन एवं मोनिटरिंग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, मधुपुर/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल जसीडीह/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, सिकटिया/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को On-line स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/X/2017
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)
30/10/17